श्री मनोज सिन्हाः सभापति जी, एक मिनट, मैं अभी शेष खंडों का विवरण बताता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि ऐसे नौ गलियारे चिन्हित किए गए हैं, जबकि अब ये आठ खंड ही बता रहे हैं। इन्होंने एक और खंड घटा दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप थोड़ा सब्र कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मनोज सिन्हाः दिल्ली-चंडीगढ़ खंड के अध्ययन का कार्य प्रारंभ हो गया है और उसे हाल ही में किसी को दिया गया है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, in the Supreme Court we have a system where if the Counsel is not ready, the case is passed over. *...(Interruptions)...*

SHRI MANOJ SINHA: Sir, the first semi high speed corridor is Delhi-Agra, second is Delhi-Chandigarh, third is Mysore-Bangalore-Chennai, Delhi-Kanpur, Nagpur-Bilaspur, Mumbai-Goa, Mumbai-Ahmedabad, Chennai-Hyderabad, Nagpur-Secunderabad corridors, Sir.

Legislation on agriculture tenancy

*93. SHRI SHANTARAM NAIK: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Central Government proposes to prepare a draft Agricultural Tenancy Bill as a model legislation for guidance of the States;

(b) if so, why a need was felt by the Central Government when State Governments are competent to enact legislations on the subject and proved competent by dealing with the matter;

(c) whether it is a fact that Central Government desires to introduce private sector companies in the development of agricultural lands; and

(d) the essential features of the provisions that the Central Government has in mind for inclusion in the proposed draft Bill?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, NITI Aayog has constituted an Expert Group on 7th September, 2015 to prepare a draft model Agricultural Land Leasing Bill in consultation with State Governments.

(b) to (d) The Land and its management falls within the jurisdiction of States as per Entry 18 of List II (State List) of the Seventh Schedule to the Constitution. The role of the Central Government in the field of land reforms is only of an advisory nature.

There was consultation meeting with the Chief Secretary/Principal Secretary Revenue/Land Departments of the State Governments under the Chairmanship of Vice Chairman of NITI Aayog on 24th August, 2015. As a result of deliberations and on the request of representatives of State Governments, it was decided that the Vice Chairman of NITI Aayog will constitute a committee to suggest a model land leasing law to the States. Expert Group is constituted by NITI Aayog as a follow up of this decision. At present, Expert Group is in process of consultation with different stakeholders and preparation of draft model Bill. The final draft of model Land Leasing Bill will be prepared after due consideration of the views of farmers and farming communities.

SHRI SHANTARAM NAIK: This NITI Aayog has been constituted by removing the Planning Commission. Specially, they wanted to eradicate the name of Jawaharlal Nehru from the scene. Therefore, NITI Aayog has been constituted. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI SHANTARAM NAIK: I am coming to the question, Sir. Agriculture is a State subject. Since Independence, several legislations have been prepared by State Governments and effectively implemented including land reforms. इस टाइम पर ऐसी क्या जरूरत पड़ी? Why was a meeting called by the Planning Commission or NITI Aayog, whatever it is? What was the need to call for a meeting of Secretaries and other officers — officers, who come from the State Governments, and are, normally, opposed to touching of any State subject — for the purpose of deciding a State subject? Why has this issue come? Why has an expert committee been constituted? Is it to allow the private sector in our agricultural fields and destroy workers and farmers? Please make it clear.

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, चाहे नीति आयोग हो या प्लानिंग कमीशन हो, सवाल है कि नीयत कैसी हो? अब आप किस नीयत से देखते हैं — उसको नीति आयोग के रूप में देखते हैं या किसी और रूप में देखते हैं, यह आपके देखने का नज़रिया है।

जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्यों जरूरत पड़ी। आपको ध्यान होगा कि 2004 में स्वामीनाथन कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने 201 सिफारिशें की थीं। उसके बाद 2007 में किसान आयोग का गठन किया गया, उसमें उन 201 बिंदुओं को लिया गया। उन 201 बिन्दुओं में से 192 पर कार्य पूर्ण हो चुका है और जो शेष 9 बिंदु बचे थे, उनमें एक बिंदु यह भी था — आदरणीय जयराम रमेश जी जब आप मंत्री थे, तो आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इसकी क्यों जरूरत पड़ी,

[श्री राधा मोहन सिंह]

माननीय सदस्य का उत्तर बीच में किसी समय दे देंगे, तो शायद वे समझ जाएंगे। ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए। हमसे पहले आदरणीय जयराम रमेश जी ने ...(**व्यवधान**)... 2007 में जो किसान नीति बनी थी, उसमें किसानों के सशक्तिकरण के लिए परिसम्पत्ति सुधार के लिए बिंदु था। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक कमेटी बनाई और वे स्वयं उसके अध्यक्ष थे। वह इस दिशा में आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के बाद आपने इस दिशा में कुछ काम भी किया था।

श्री शान्ताराम नायकः आप private sector के बारे में बताइए।

श्री राधा मोहन सिंहः मैं उत्तर दे रहा हूं, चूंकि मैं आज मंत्री हूं और उत्तर मुझे देना है, नहीं तो इसका असली उत्तर ये पहले दे चुके होंगे। उस समय न हम थे, न शायद वह थे, हमने इसको पढ़ा है, इसलिए पता चल गया। उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं होगा, इसके बारे में बताना जरूरी है। इस पर आपने काम भी शुरू किया और उसमें कुछ सुझाव भी दिए थे। आपका सुझाव था कि लीज़िंग से प्रतिबंध हटाना चाहिए। लीज़िंग पर 12 वर्ष से अधिक समय तक कोई खेती करता है, तो मालिक बन जाता है, इसको भी हटाना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं की भागीदारी सहित कई प्रकार के सुझाव दिए। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि फिर आप उस काम को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहे। उसके बाद दूसरी सरकार आई। आपने जो कुछ किया था, उसी को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। हमने अपने उत्तर में भी साफ लिखा है कि यह राज्यों का विषय है और भारत सरकार की भूमिका सलाहकार की है। उन्होंने जो शुरू किया था, उसी के लिए फिर नीति आयोग के द्वारा कमेटी बनाई गई है, same वही उद्देश्य है, वही लक्ष्य है, वही विषय है और अगर किसी की समझदारी में यह बात नहीं आती है कि यह राज्य का विषय है, तो इसमें समझने वाले का कसूर होगा। यह राज्य का विषय है। भारत सरकार इसमें सलाहकार की भूमिका अदा करती है। जयराम रमेश जी, किसान आयोग का या स्वामीनाथन आयोग का मात्र यह लक्ष्य था कि वे किसान, जो स्वयं खेती नहीं कर पाते हैं, दूसरे को खेती करने के लिए देना चाहते हैं या दूसरा खेती करने वाला लेना चाहता है। लेकिन अपने देश में इस पर भय रहता है। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियम हैं कि हम अपनी जमीन देंगे, तो हमारा मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। यह भय कैसे दूर होगा? इसके लिए आदरणीय जयराम रमेश जी ने राज्यों के साथ बैठक की थी और एक टास्क फोर्स भी थी। अंतर यही है, उस समय वे अध्यक्ष थे। इस समय अध्यक्ष मेरे मंत्रालय का है भी नहीं। इस बार मंत्रालय के जो मंत्री हैं, वे उसके अध्यक्ष नहीं हैं। नीति आयोग के जो हक साहब हैं, वे उसके अध्यक्ष है। उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह सिर्फ किसान की बात है, कृषि की बात है। यह कंपनी वाली बीमारी, इंडस्ट्री वाली बीमारी का * यदि किसी पर सवार है तो उस * का कसूर होगा, उस व्यक्ति का कसूर होगा ...(**व्यवधान**)... उसमें इसका कोई कसूर नहीं है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Second supplementary.

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, my second supplementary is this. *...(Interruptions)...*

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सभापति जी * शब्द अनपार्लियामेंटरी है ...(**व्यवधान**)... Sir,* is an uparliamentary word. * शब्द को एक्सपंज किया जाए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: If it is unparliamentary, it will be expunged. *...(Interruptions)...*

श्री राधा मोहन सिंहः इंडस्ट्री का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ...(**व्यवधान**)... यदि किसी के दिल में यह सवाल है ...(**व्यवधान**)... तो यह उसका कसूर होगा ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Perhaps a better expression could have been used. *...(Interruptions)...*

श्री राधा मोहन सिंहः मैं किसी के ...(**व्यवधान**)... नहीं बोल रहा हूं ...(**व्यवधान**)... सर, यह बात बहुत लोगों के दिमाग में है ...(**व्यवधान**)... मैं उनके लिए बोल रहा हूं ...(**व्यवधान**)... यह * हर जगह ले जाना ...(**व्यवधान**)... यह किसान की समस्या है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मंत्री जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please. *...(Interruptions)...* Let us confine ourselves to parliamentary expressions.

श्री राधा मोहन सिंहः इसका इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है। ...(**व्यवधान**)... जिनके सिर पर * सवार है ...(**व्यवधान**)... उनसे विनती है कि उसको इससे न जोड़ें। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: All right. Second supplementary. *...(Interruptions)...* This is not the time for making speeches. Second supplementary, please.

श्री के. सी. त्यागीः सभापति जी, यह अपने सहयोगियों को संबोधित करने की भाषा नहीं है ...(**व्यवधान**)... यह अनपार्लियामेंट्री है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः मेरा बहुत साफ कथन है। ...(**व्यवधान**)... मैं सहयोगियों को नहीं बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं उनके लिए बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... यहां * हर जगह ले जाना ...(**व्यवधान**)... यह किसान की बड़ी भयंकर समस्या है। ...(**व्यवधान**)... इसका इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है, ...(**व्यवधान**)... लेकिन जिनके सिर पर * सवार है, उनसे मेरी विनती है कि उसको इससे न जोड़ें। ...(**व्यवधान**)... मेरा बहुत साफ उत्तर है ...(**व्यवधान**)... 'शंका' शब्द कहिए ...(**व्यवधान**)... लेकिन इस शंका से, इस भय से ...(**व्यवधान**)... इस भय के कारण ...(**व्यवधान**)... दूर रखने के कारण ...(**व्यवधान**)...

श्री के. सी. त्यागीः किसी सांसद के लिए ...(**व्यवधान**)... किसी मंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का हक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः त्यागी जी, बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... I think the hon. Minister *...(Interruptions)...*

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री राधा मोहन सिंहः इस भय से ...(**व्यवधान**)... इस भय के कारण ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. *...(Interruptions)...* Hon. Minister. Please. *...(Interruptions)...* Will you please sit down now? *...(Interruptions)...*

श्री के. सी. त्यागीः इन पर * सवार है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः स्टेटमेंट की बात ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is not an occasion for making speeches. You answer the questions. *...(Interruptions)...* That is all. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, he has to withdraw it. What is it?

MR. CHAIRMAN: Mistryji, please. We will take care of that. *...(Interruptions)...* If any unparliamentary expression has been used, it will be examined and withdrawn. *...(Interruptions)...* Yes, the word is expunged. *...(Interruptions)...* Second supplementary, please. *...(Interruptions)...*

SHRI SHANTARAM NAIK: Sir, my second supplementary is this. किसानों को कत्ल करके, मारकर ये * को अपने फार्म में इंट्रोड्यूज़ करने वाले हैं। * is not unparliamentary. इन * को आप अपने खेतों में क्यों रखें, यह बताइए? यह प्राइवेट सेक्टर का * क्यों रह रहा है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

श्री शान्ताराम नायकः इन्होंने बताया कि कसल्टेशन करेंगे। क्या villages में कंसल्टेशन करेंगे या तालुका लेवल पर कंसल्टेशन करेंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे? ...(**व्यवधान**)... कहां और कब कंसल्टेशन शुरू होगा? ...(**व्यवधान**)... यह * लाने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति जी, मैं फिर कहूंगा कि यह जो टास्क फोर्स है, जो आदरणीय जयराम रमेश जी के समय में बनी है, इसका मूल उद्देश्य किसान और खेत का है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is not relevant what he did. Please answer the question. *...(Interruptions)...*

श्री राधा मोहन सिंहः इसका किसान और खेत से संबंध है। देश में, इस संबंध में यदि किसी को कोई भी शंका है या * शब्द यदि असंसदीय है, पूरे देश के अंदर किसी को भी शंका है ...(**व्यवधान**)... मैं * शब्द नहीं बोल रहा हूं, यदि शंका है, सवाल है, तो वह शंका हटनी चाहिए। जहां तक, किस स्तर पर राय करने की बात है, तो राज्य के जो कृषि अधिकारी हैं, उनके साथ बात करने की बात है। क्योंकि यह राज्य का विषय है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't use the word.

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री राधा मोहन सिंहः तालुका और उस लेवल पर उनका काम बनता है ...(**व्यवधान**)... हम तो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ टास्क फोर्स में बैठने का काम करते हैं।

SHRI D. RAJA: Sir, a few days back, in the very same House, a serious concern was expressed about the transfer of agricultural land for non-agricultural purposes. A question was also asked from the Government whether the Government has evolved a land use policy in consultation with the State Governments. But, in the mean time, the Government tells the House and the people that the Government has constituted an expert committee and is working on a model land leasing Bill. What is the purpose of this Bill? Are you under some pressure from corporate houses or big business houses? Make it clear. Be truthful to the country and the Parliament. What is the purpose?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मैं समझता हूं कि सदन में जो विवरण पटल पर रखा जाता है, कोई भी माननीय सदस्य जब प्रश्न पूछते हैं, तो उसको जरूर पढ़ते होंगे। इसमें बहुत साफ-साफ लिखा है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 18 के अनुसार 'भूमि और इसका प्रबंधन' विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। भूमि सुधार के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की होती है। यह साफ-साफ है, जो हमने सभा पटल पर रखा है।

दूसरा, जो किसान खेती नहीं करता है, वह दूसरे किसान को खेती करने के लिए जमीन देने में डरता है। इसलिए देश में 12 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन पड़ी हुई है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। इसलिए इसमें एकरूपता लाने के लिए और यह भय दूर करने के लिए कैसे कानून राज्यों को बनाने चाहिए, इसके लिए बैठ कर बातचीत करने का काम आदरणीय जयराम रमेश जी ने शुरू किया था और फिर नीति आयोग ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no ...*(Interruptions)*... Mr. Raja, please. Now, Shri Ahmed Patel.

श्री अहमद पटेलः सर, मंत्री महोदय ने अभी स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि जो 201 सिफारिशें थीं, उनमें से 192 सिफारिशों पर काम हो रहा है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के बारे में जो वादा किया था कि यह रिपोर्ट 100 per cent in toto accept की जाएगी और किसान अपनी खेती पर जो खर्च करता है, वह वाद करने के बाद 50 परसेंट मुनाफा किसान को मिलेगा, क्या प्रधान मंत्री जी का यह वादा पूरा किया जाएगा?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, यह प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थीं, उनमें से 9 बिन्दु लागू नहीं हुए थे। एक की चर्चा तो आप सुन रहे हैं, उस दिशा में आपकी सरकार भी बढ़ी थी और हम भी बढ़ रहे हैं। जो दूसरा विषय आपने उठाया, प्रधान मंत्री जी के भाषण का, हमारे घोषणा पत्र का, उसमें बहुत साफ है कि किसानों की लागत बढ़े। यही हमारे घोषणापत्र में था और उस दिशा में हमने काम किया है। हमने काम यह किया है कि इस देश के अन्दर किसानों का जो लागत मूल्य है, वह कम हो। इसके लिए हमने कौन-कौन सी

योजना चलाई है, उसकी चर्चा के लिए कोई अलग दिन रखिए। दूसरा, उसको उच्च पैदावार की रोपण सामग्री और बीज प्राप्त हों। अगर इस पर भी चर्चा करनी है, तो इसके लिए कोई अलग दिन रखिए। हमने तीसरा काम किया है राष्ट्रीय कृषि मंडी के बारे में कि उसको अच्छा मूल्य मिले। चौथा काम समय-समय पर समर्थन मूल्य बढ़ाने का है। ये चारों विषय हैं कि इन चारों विषयों पर आप चार दिन अलग-अलग चर्चा करिए, सरकार इसके लिए तैयार है। इससे आपको पता चलेगा कि हम किसानों का लाभ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं।

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Sir, the hon. Minister is saying that there is twelve lakh hectares of land which is not under cultivation at this point of time. Now, the point is that they are talking about cooperative federalism. This is a * on the Indian Constitution because they are creating windows intended to encroach upon the State subject. The point is, this will result straightway in the corporatisation of agriculture. The land under food cultivation is declining. Under this condition, the UPA Government had passed the National Food Security Bill. Since the land under cultivation is changing from food cultivation to non-food cultivation and non-food crops, what will be the implications of such kind of legislations, if at all you make, by creating the window for the national food security which is the historical scheme introduced by the UPA Government?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मैंने पहले भी कहा और जरूर किसी न किसी गाँव से सम्बन्ध होगा कि गाँव में मेरा पूरा परिवार ...(**व्यवधान**)... मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। हम पूरे परिवार के साथ शहर में चले आए। मेरे पास एक एकड़ जमीन है। हम गाँव में किसी को खेती के लिए जमीन इसलिए नहीं देते हैं कि उसमें 12 साल तक वह उसके कब्जे में रह गया या कई-कई राज्यों में अलग-अलग कानून हैं कि यदि वह उसके कब्जे में रह गया और वह खेती करता रहा, तो हमारा मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। इस भय से खेती योग्य जमीन में खेती नहीं हो रही है और इसी भय को दूर करने के लिए हर राज्य से हमारी बात हो रही है। पहले भी सरकार ने यही प्रयास किया कि ऐसा कौन सा तरीका निकले, जिससे यह जो जमीन है, इस पर भी खेती हो सके। इसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है।

Compensation to victims of rail accidents

*94. SHRI SHADI LAL BATRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the rate and amount of compensation paid by Railways to victims of rail accidents during last three years and the number of compensation claim cases pending with Railways as on 1 December, 2015;

(b) whether discussions have been held with insurance companies for insurance of rail passengers, if so, details thereof alon gwith agreement(s), if any, signed in this regard; and